

न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-15/2011-12

(51/2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-मेसर्स केवल मल
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-51/2002 में दिनांक-30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-मालपहाड़ी, जमाबन्दी सं०-11/45 के दाग सं०-441 एवं 442 अंतर्गत रकवा-01बी०-00क०-00धूर भूमि का विपक्षी मेसर्स केवल मल, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-17/98-99 में दिनांक-24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रश्नगत भूमि से संबंधित कुछ कागजात/दस्तावेज पूर्व में दाखिल किया गया है। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल-खारिज वाद सं०-386/1972-93 में पारित आदेश दिनांक-16.09.1972 की प्रति पूर्व में दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त नामांतरण खनन पट्टा के आधार पर दिया गया था एवं दिनांक-30.09.1973 तक ही प्रभावी था। खनन पट्टा के आधार पर दाखिल खारिज करना एवं राजस्व पंजी-॥ में जमाबन्दी सृजित करना बिल्कुल अवैध है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी मेसर्स केवल मल, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित अवैध जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	